# सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003

फोन-0755-2556916 फैक्स-2552665, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in


क्रं./सा.सहा./2021/ 206 भोपाल, दिनांक 15/02/2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर

मध्यप्रदेश।

विषय :- मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग एवं बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना के हितग्राहियों को पात्रतानुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत दिव्यांग पेंशन एवं दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन की पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है एवं प्रतिमाह स्थानीय निकायों द्वारा स्वीकृत पेंशन प्रपोजल के आधार पर पेंशन का ई-पेमेंट राज्य स्तर से सीधे पेंशन हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में किया जाता है।

2. राज्य शासन द्वारा मानसिक रूप से अविकसिक दिव्यांग, बहुविकलांग, ऑटिज्म एवं सेरेब्रल पाल्सी के दिव्यांगजनों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उददेश्य से **बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित के लिये सहायता अनुदान योजना** का क्रियान्वयन किया जाता है। उक्त योजना में लाभांवित हितग्राही पात्रतानुसार अन्य दिव्यांग पेंशन जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत दिव्यांग पेंशन एवं दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है, जिससे कि उक्त विशिष्ट श्रेणी के दिव्यांगजनों को शासन से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

अत: ऐसे हितग्राही है जो बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित के लिये सहायता अनुदान योजना का लाभ प्राप्त कर रहें है की पात्रता एवं नि:शक्तता प्रमाण पत्र का परीक्षण कर पात्रतानुसार अन्य दिव्यांग पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही प्राथमिकता से करने हेतु समस्त जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि शासन की मंशा के अनुसार हितग्राहियों को उनकी पात्रता के आधार पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

15/2/2021

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

संचालक,

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

पृ.क्र./सा.सहा./2021/ 206-A भोपाल, दिनांक 15/02/2021

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।
4. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र. कृपया पेंशन पोर्टल पर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृति हेतु पात्र हितग्राहियों की सूची जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के यूजर पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे निकायों द्वारा पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके।
4. समस्त संयुक्त व उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।
5. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/2/2021

संचालक,

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

**सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश**
**1250, तुलसीनगर मध्यप्रदेश भोपाल**
फेक्स. 0755–255266 ई–मेल– dpswbpl@nic.in

---------

**विषय :– दिनांक 26 मार्च, 2018 को आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण।**

———

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु **दिनांक 26 मार्च, 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में निम्न बिन्दुओं पर जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये :–

**1. सी.एम. हेल्पलाईन**

- लेवल 4 पर लंबित शिकायते, विभाग की 300 दिवस से लंबित शिकायतों एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की लंबित शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये।
- माह जनवरी में बिना निराकरण लेवल 4 पर जिला राजगढ, सतना, सिंगरौली, ग्वालियर, सागर, अशोकनगर, बडवानी, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं मण्डला जिलों से सर्वाधिक शिकायते प्राप्त हुई है।
- उपरोक्तानुसार कार्यवाही न करने वाले जिलों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश है।

**2. आधार सीडिंग की समीक्षा**

- शासन की मंशा के अनुसार हितग्राहियों को आधार बेस्ड पेमेंट किया जाना है, हितग्राहियों के आधार नम्बर को बैंक बचत खाता नम्बर से लिंक (सीडिंग) किया जाना है। आधार सीडिंग में सर्वप्रथम शेष पेंशन हितग्राहियों के आधार सीडिंग की जावे।

- जिला झाबुआ, सिंगरौली, सीधी, खण्डवा, खरगौन, भिण्ड, बडवानी, श्योपुर, अनुपपुर, बैतूल, शिवपुरी, धार, शाजापुर, सिवनी, नरसिंहपुर, हरदा, दमोह एवं सतना जिलों द्वारा 95 प्रतिशत से कम आधार नम्बर समग्र पोर्टल पर सीडिंग की गई, जो अत्यंत कम है। आधार सीडिंग नहीं होने से डुप्लिकेशन की संभावना अधिक है। **समस्त जिले समग्र पेंशन पोर्टल पर आगामी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग तक आधार सीडिंग का कार्य शत्–प्रतिशत सुनिश्चित करें।**

**3. पेंशन योजना हेतु संभावित पात्र व्यक्तियों की प्रगति रिपोर्ट**

- मुख्य सचिव म.प्र. शासन के निर्देश क्रमांक एफ 3–1/18/20 दिनांक 10.1.2018 के अनुसार सभी जिले विशेष अभियान चलाकर प्रथमदृष्ट्या पात्र व्यक्तियों की सूची में से भौतिक परीक्षण कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही करें अथवा डेटा अपडेशन की कार्यवाही शत–प्रतिशत सुनिश्चित करें।

## 4. पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

- समस्त लाभांवित पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराने हेतु विशेष अभियान के संबंध में संचालनालय के पत्र के क्रं. सा.सहा./2018/339 दिनांक 20 मार्च 2018 को समस्त जिलों को पत्र में लेख किया गया है कि समस्त पात्र पेंशन हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो, इस हेतु समस्त स्थानीय निकायों को निम्नानुसार कार्यवाही अनिवार्यतः प्रतिमाह की 22 तारीख तक सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये है :–
    - पेंशन पोर्टल पर समस्त पेंशन हितग्राही पात्र हो
    - अपात्र हितग्राही को पोर्टल से हटाने की कार्यवाही
    - हितग्राही का बैंक बचत खाता नम्बर एवं आई.एफ.एस. कोड सही हो
    - असफल भुगतान हुये हितग्राही को प्रोफाइल का परीक्षण कर जानकारी को अपडेट करना

- पेंशन पोर्टल पर स्वीकृत समस्त पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव व नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारी के द्वारा किया जाना अनिवार्य है, जिससे कि मृतक, अपात्र व डुप्लिकेट हितग्राहियों को पेंशन पोर्टल से हटाने की कार्यवाही संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा की जायें।

- प्रतिमाह की 22 तारीख तक उक्त आशय का प्रमाण–पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि वर्तमान माह में पेंशन पोर्टल पर समस्त पेंशन हितग्राही पात्र है व उनकी जानकारी अपडेट व त्रुटिरहित है। यदि किसी जनपद पंचायत व नगरीय निकायों द्वारा 22 तारीख तक पेंशन भुगतान हेतु प्रमाण–पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा तो उक्त स्थिति में पेंशन हितग्राहियों को पेंशन भुगतान नहीं हो सकेगा, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकायों का होगा।

- यदि किसी हितग्राही को बैंक बचत खाता नम्बर व आई.एफ.एस. कोड में त्रुटि होने के कारण पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है एवं अपात्र या डुप्लिकेट हितग्राहियों को पेंशन प्राप्त हो जाती है, तो इसकी जबाबदेही संबंधित स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद एवं प्रभारी अधिकारी, नगर निगम की होगी।

- प्रत्येक तीन माह में एक बार पेंशन पोर्टल पर स्वीकृत समस्त पेंशन हितग्राहियों की सूची को प्रिंट कर ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर निगम में वार्ड कार्यालयों तथा नगर पालिका/नगर परिषद कार्यालयों में चस्पा करना सुनिश्चित करें एवं आगामी 14 अप्रैल, 2018 को आयोजित ग्राम सभा में भी ग्रामवासियों के समक्ष लाभांवित पेंशन हितग्राहियों की सूची का वाचन किया जाये।

## 5. बैंक खातों के दौहरीकरण के संबंध में स्पष्टिकरण

- किसी पेंशन हितग्राही के एक बचत बैंक खाते में एक माह में एक से अधिक किन्तु पृथक–पृथक पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है उदा –

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन

} किसी हितग्राही को इन चारों योजनाओं में से किसी एक योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है।

उपरोक्त योजनाओं के पेंशन हितग्राहियों को उनकी पात्रतानुसार निम्न योजनाओं का लाभ भी प्रदाय किया जा सकता है :–

- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन
- मानसिक रूप से अविकसित एवं बहुविकलांग को आर्थिक सहायता

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक पेंशन हितग्राही को पात्रतानुसार अधिकतम तीन पेंशन योजनाओं का लाभ एक ही बचत बैंक खाते में प्रतिमाह दिया जा सकता है।

- किन्तु एक बैंक बचत खाते में एक से अधिक पेंशन हितग्राहियों की पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकता।

## 6. 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

- 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जाना है। पेंशन पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 19,327 पेंशन हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो रही है। इन हितग्राहियों की नामवार सूची ईमेल के माध्यम से पूर्व में ही प्रेषित की जा चूकी है साथ ही समस्त स्थानीय निकायों के यूजर आईडी पर भी उपलब्ध है।

- उक्त सूची के समस्त पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव व नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारी के द्वारा किया जाना है, जिससे कि केवल जीवित एवं पात्र हितग्राहियों को ही योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सकें। समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी उक्त भौतिक सत्यापन की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा करें, साथ ही रेण्डमली ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर भौतिक सत्यापन की जानकारी प्राप्त कर, पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।

- संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण व समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी पूर्णतः का प्रमाण 31 मार्च, 2018 भेजना जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. <u>यूजर आईडी व पासवर्ड के संबंध में</u>

- संबंधित अधिकारी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड को गोपनीय रखे। यूजर आईडी एवं पासवर्ड की गोपनीयता हेतु निम्न बिन्दुओं का पालन किया जाये :–

  1. किसी भी अन्य व्यक्ति से यूजर आईडी एवं पासवर्ड साझा न किया जाये।
  2. डायरी, रजिस्टर या अन्य किसी कार्यालयीन पत्र पर न लिखा जाये।
  3. मोबाईल एवं कम्प्यूटर पर सेव न रखा जाये।
  4. नियमित रूप से पासवर्ड परिवर्तित किया जाये।
  5. मोबाइल नम्बर को अपडेट रखा जाये।

- यूजर आईडी एवं पासवर्ड के अनाधिकृत उपयोग होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदारी तय करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

8. <u>यूडीआईडी कार्ड</u>

- जिला सतना, शाजापुर, खण्डवा, रतलाम, बडवानी, देवास, सिंगरौली, अलिराजपुर, झाबुआ, नरसिंहपुर, सीधी, देवास, रीवा, इंदौर, मण्डला, नीमच, सागर, उमरिया एवं शिवपुरी द्वारा 20 प्रतिशत से भी कम यूडीआईडी कार्ड जेनरेट किये है वही दूसरी ओर जिला बालाघाट, आगर मालवा, बुरहानपुर, राजगढ एवं बैतूल जिलों द्वारा 97 प्रतिशत से या उससे अधिक यूडीआईडी कार्ड जेनरेट किये है। अन्य जिलें भी इन जिलों का अनुसरण करें।
- समस्त जिलों आगामी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग तक कम से कम 1000 से अधिक यूडीआईडी कार्ड जेनरेट करें।
- जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 15 लाख से अधिक दिव्यांगजन है, अतः आगामी वीडियो कांफ्रेंसिंग में जनगणना के अनुसार ही यूडीआईडी कार्ड जारी करने की समीक्षा करें।

9. <u>सिपडा</u>

- सिपडा योजना अंतर्गत जिला सागर, शाजापुर, सतना, सीहोर, सीधी के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त। कलेक्टर स्तर पर इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाकर आगामी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे।

10. <u>वर्ष 2017–18 निराश्रित निधि बजट</u>

- निराश्रित निधि का बजट जिन जिलों से अप्राप्त है, वे जिले आगामी वीडियों कॉन्फ्रेसिंग से पूर्व जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. <u>विशेष विद्यालय , छात्रावास एवं डी.डी.आर.सी हेतु भूमि आवंटन की स्थिति</u>

- विशेष विद्यालय, छात्रावास एवं डी.डी.आर.सी हेतु भूमि आवंटन की स्थिति जानकारी आगामी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से पूर्व उपलब्ध करायें।

12. <u>कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण योजनांतर्गत हितग्राहियों की जानकारी</u>

- सभी जिले पिछले वर्ष वितरित कृत्रिम अंग के हितग्राहियों की सूची एवं व्यय का विवरण जिन हितग्राहियों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरित

किये गये है उनकी सूची स्पर्श पोर्टल पर अपलोड कर अवगत कराये, साथ ही व्यय की भी जानकारी उपलब्ध करायें।

13. **तकनीकी समाधान एवं सुझाव**

- तकनीकी समस्या होने पर सर्वप्रथम अपने जिले के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. व जिला समग्र संयोजक से संपर्क करें। समस्याओं के समाधान व सुझाव हेतु समस्या का विस्तृत लेख कर भेजने वाले का नाम व मोबाइल नम्बर की जानकारी संचालनालय की ई–मेल (md.samagra@mp.gov.in, mdcmsssm@gmail.com) पर मेल करें या दूरभाष नम्बर 0755–2555700 पर भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

**(प्रमुख सचिव सह आयुक्त द्वारा अनुमोदित)**

**उप संचालक(सामान्य),**
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/सामान्य/2018/184 भोपाल, दिनांक 31/03/2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त आयुक्त, नगर निगम म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
6. समस्त संयुक्त/उप/सहायक संचालक मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया आगामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वयं प्रस्तुतिकरण करें व तुलनात्मक जानकारी सहित जिलों से चर्चा करेंगें।
7. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत म.प्र.।
10. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद म.प्र.।
11. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, प्रतिमाह पेंशन भुगतान की समीक्षा करें साथ ही विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में जनपद पंचायत व नगरीय निकायों से समन्वय करें।

**उप संचालक(सामान्य),**
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश